UPLK010019552026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, लखनऊ।

पीठासीन अधिकारी : मलखान सिंह (उच्चतर न्यायिक सेवा) - UP01998

<u>अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 1073/2026</u>

आयुषी मिश्रा, उम्र लगभग 23 वर्ष, पुत्री शिव शंकर मिश्रा, निवासिनी 206 शिवम इंक्लेव, रुद्राक्ष, रेज़ीडेंसी के सामने, कोसा, मण्डी, थाना अंकलेश्वर ए डिवीज़न, जनपद भरूच, गुजरात। **.....आवेदिका/अभियुक्ता।**

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य **.....विपक्षी।**

अपराध संख्या-568/2025
धारा- 316(2), 351(3), 352 बी.एन.एस.
थाना- पारा, जनपद- लखनऊ।

<u>10.02.2026.</u>

1. अग्रिम जमानत आवेदन सुनवाई हेतु प्रस्तुत हुआ।

2. पुकार पर आवेदिका/अभियुक्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता एवं उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी उपस्थित हैं।

3. यह जमानत आवेदन पत्र, अन्तर्गत धारा-482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 आवेदिका/अभियुक्ता **आयुषी मिश्रा** द्वारा उपरोक्त वर्णित प्रकरण में अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

4. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदिका/अभियुक्ता पर आरोपित अपराध अधिकतम सात वर्ष तक के दण्ड से दण्डनीय हैं, इस कारण प्रकरण में उसकी गिरफ्तारी की कोई आशंका नहीं है।

5. सुना व उपलब्ध प्रपत्रों का सम्यक् परिशीलन किया गया।

6. उपलब्ध प्रपत्रों के अनुसार प्रस्तुत प्रकरण में वादी मुकदमा मदन गोपाल अवस्थी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर दिनांक 07.08.2025 को समय 14:00 बजे थाना पारा, जनपद लखनऊ में आवेदिका/अभियुक्ता व सह-अभियुक्तों के विरुद्ध धारा-316(2), 351(3), 352 भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत नामजद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। आवेदिका/अभियुक्ता पर आक्षेपित अपराध सात वर्ष तक या उससे कम अवधि के दण्ड से दण्डनीय है। प्रकरण अभी विवेचनाधीन है। उल्लेखनीय है कि विधि व्यवस्था **अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य [(2014) 8 एसी.सी.सी. 273]** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों एवं धारा-35(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रावधानों के दृष्टिगत आवेदिका/अभियुक्ता को पूर्व से ही गिरफ्तारी से समुचित संरक्षण प्राप्त है, बशर्ते कि वह विवेचना में सहयोग करे।

अतः इस स्तर पर, आवेदिका/अभियुक्ता की गिरफ्तारी की आशंका निर्मूल प्रतीत होती है, तदनुसार प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदिका/अभियुक्ता आयुषी मिश्रा की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र **निरस्त** किया जाता है।

सम्बन्धित विवेचक को निर्देशित किया जाता है कि यदि धारा-35(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत नोटिस जारी नहीं की गयी है तो दो सप्ताह के भीतर आवेदिका/अभियुक्ता को नोटिस जारी करे और आवेदिका/अभियुक्ता उक्त नोटिस के अनुपालन में विवेचना में सहयोग करेगी।

आदेश की एक प्रति अनुपालन हेतु सम्बन्धित विवेचक को भेजी जाए।

दिनांक-10.02.2026.

(मलखान सिंह)
सत्र न्यायाधीश,
लखनऊ।
(UP01998)

Digitally signed by Malkhan Singh
Date: 2026.02.11 10:50:08 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court